दिनांक :-25-10-2023

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

चुरू, राजस्थान।

विषय:—Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village-Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांकः एफ ()05/सर्वे/उवसं/2021-22/1011 दिनांक 17-02-2022। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या :-FP/RJ/ROAD/49638/2020

| क्र.स. | भार्त | पालना रिपोर्ट |
|--------|---|---|
| 1. | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन |
| | नहीं होगा। | नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की |
| | | पूर्णतया सहमति है। |
| 2. | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य |
| | प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। | प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता |
| | | अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। |
| 3. | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख |
| | रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की | रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों |
| | वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की | एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं |
| | क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु | पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त |
| | समस्त उपाय किये जावेगें। | उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की |
| | | पूर्णतया सहमति है। |
| 4. | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को |
| | वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा | वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा |
| | जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, | जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, |
| | वन विभाग के होगें। | वन विभाग के ही होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण |
| | | की पूर्णतया सहमति है। |
| 5. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र |
| | के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी | के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी |
| | प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। | प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें |
| | | प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। |
| 6. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान |
| | स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई | स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई |
| | गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि | गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि |
| | निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। | निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता |
| | | अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। |
| 7. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन्भूमि के |

| | अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण | अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण | |
|-----|--|--|------|
| | कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। | कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण | |
| | का काय नहां किया जापना। | की पूर्णतया सहमति है। | |
| 8. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल | |
| 0. | पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर | पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े | |
| | रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो | स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के | |
| | मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) | बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से | |
| | पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर | कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर | |
| | सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे | इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने | |
| | संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण | में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण | |
| | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। | के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की | |
| | | पूर्णतया सहमति है। | |
| 9. | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना | एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्राप्त कर लिया गया है। | |
| | के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेंट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया | प्रतिलिपि संलग्न है। | |
| | जावेगा। | | |
| 10. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की | प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली | |
| | पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल | गई है। | |
| | की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत | प्रतिलिपि संलग्न है। | |
| | करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। | | |
| 11. | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना | |
| 11. | पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों | पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का | |
| | का पालन करेगा। | पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की | |
| | | पूर्णतया सहमति है। | |
| 12. | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा | |
| | शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों | शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो | |
| | तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन | तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन | |
| | किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों | किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो | |
| | का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया | का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान | |
| | जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान | दरों को समाहित करते हुये धनराषि | |
| | दरों को समाहित करते हुये राषि OSMFWP | 1,61,602/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP | |
| | (Online Submission & Monitoring of | (Online Submission & Monitoring of | |
| | Forest & Wildlife Clearance Portal) | Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा | |
| | द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। | स्जित ई-चालान से दिनांक 04.03.2022 को | |
| | | जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है। | |
| 13. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम | |
| 10. | न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 | न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 | |
| | के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार | के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार | |
| * . | के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05. | के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02. | |
| | 02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA | 2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09. | |
| | | 2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09. | |
| | | Sud Managon reed (Morrice | 1 |
| | | 2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09. | 005 |
| | | Bertal Charles Joins Haing and 30 | 5002 |
| | | To San Oil Market San Mand Jack | |
| | | The said and the said and sugar | |
| | | First Rice states Circle by | |
| | | Such ans Relatifier | |
| | | | |

09.06.2016 में दिये गए आदेषानसार 06.2016 में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि 47,714/-जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार रुपये दिनांक 04.03.2022 को ई-चालान द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रतिलिपी संलग्न है। प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराषि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राषि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तृत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी

दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल

द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की

पालना प्रकरण में सुनिष्चित की जावें तथा प्रकरण

में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं

अंग्रेजी में प्रकाषित होने वाले एक-एक समाचार

पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करावें एवं जारी स्वीकृति

की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं

नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को

स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध

कराना सुनिष्चित करे।

14.

15.

16.

सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा. इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाषित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई

भवदीय

शु अराजा / Sudhanshu Arora) (स्वार्ध अराजा / Sudnansin Andrews (स्वार्ध) अराजा / Chief Manager (Retail Sales) (स्व.प्र.) (स्व.प्र.) अराजा केला / Chief Manager (स्व.प्र.) (स्व.प्र.) अराजा केला / Chief Manager (Retail Sales) (स्व.प्र.) Chie Manager (Retail Sales) war Divisional Office
Indian Off Corporation Indiam Off Corporation Ltd: The Divisional of The Indian Off Corporation Ltd: Building, Phase-II Jaipur Divisional Office, First Floor LIC Investment Building, Phase-II angh Road, Jaipur-302005

Stas faipur ar Circle, B



राजस्थान RAJASTHAN

BG 124706

शपथ-पत्र

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan.(FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

- में सुधांशु अरोड़ा शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-
- 1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
- 2. यह कि मिकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ॲटानी होल्डर है।
- 3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।
- 4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

- 5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
- 6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।
- 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
- 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
- 9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
- 10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
- 11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापित्त प्रस्तुत करावेगा।
- 12. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
- 13. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
- 14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।
- 15. भारत सरकार के पत्रांक 7—23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11. 2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी रवीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाषित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(Sudhanshy Arora) anshu Arora)
(Chief Manager (Retail Sales) er (Retail Sales)
मिर्गानिक Oil Corporation Ltd. (व.स.)
Japur Divisional Office, First Floor, tional Office
Ltd. (व.स.)
प्रथम तल प्रवास Building, Phase-II, क्या, फेस-II
प्रथम तल प्रवास प्रधानिक अभिक्र । अपने क्या विकास के प्रस्त । विकास के प्रयास के प्राप्त अविकास के प्रयास के प्राप्त अवस्था कि के प्रयास के प्रया

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

भवदीय

पुष्टा (Sudhanshu Arora)
नुजया (Sudhanshu Arora)
नुजया (Retail Sales)
नुजया (Retail Sales)
निज्ञ (वि.प्र.)
निर्माती (वि.प्र.)
निर्माती (वि.प्र.)
निर्माती (वि.प्र.)
निर्माती (वि.प्र.)
निर्माती (वि.प्र.)
होती (वि.प्र.)
निर्माती (वि.प्र.)
होती (वि.प्र.)

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(जुधा होति स्वाविक स्

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षिति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales) Arora) (पुष्टा Indian Oil Corporation Lidetail Sales) मुख्य विकास प्रियों प्रतिकृतिक क्षेत्र कार्या प्रतिकृतिक क्षेत्र कार्या है है है जिस्से प्रतिकृतिक कार्या है कि प्रतिकृतिक कार्या है कि उन्हें कि कि प्रतिकृतिक कार्या है कि कि प्रतिकृतिक कार्य कार्य

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन / 2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(Sudhanshu Arora) (সুহায়ে প্রনির্দ্ধে Manager Recall Sales) দুল্লা মুৰ্বাক (Andian Oil Composition Little ম.) Jaipur Divisional Office, First Floor Indian AC Investment Building Phas Office जयपुर मण्डल का Jaipui बिल्डिंग, फेस-II First Floor, LIC Investor ent Building, Phase-II अम्बेडकर सर्वेत के पास सवाने वित रोड़, जयपुर-302005

Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales Arora) (Terris Indian Oil Corporation Trail Sales)

Jaipur Divisional Office, First Floot. D.)

LIC Investment Building Phase Illorice जयपुर मण्डल कार्याल Japur कर विविद्धग, फेस-II First Floor, LIC Investment Building, Phase-II अम्बेडकर सर्किल के पास. भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005 Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005 **Project Name:** - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, तािक निकटवर्ती वनों को क्षिति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07—01—2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(सुधांशु अर् (Sudhanshii Arora) u Arora)
मुख्य प्रबच्चक (hief Manager (Retail Sales) (वि.प्र.)
इंडियन Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
Indi Jaipur Divisional Office, Eirst the Office
जयपुर LIC Investment Building, Phase If स- II
हारा Floor, LIC Inve Jaipur अर्थाताल, Phase-II
आम्बेडकर सर्विल के पास, महाना सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड़ लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

भवदीय

(सुधांशु अप्रतिकाडिक Arora)
मुख्य प्रबंध (स्टिडिप्रियोमकाडिक (स्टिडिप्रियोमकाडिक (सि.प्र.)
इंडियन Chief Manager (Retail Sales)
Indian Indian Oil Corporation (सि.प्र.)
प्रथम Jaipur Divisional Office, First Eloquase-II
First LIC Investment Building, Phase 11, 30205
अभेडकर सर्विल के प्रतिकास 11, 30205
Near Ambedkar Circle, Phairmaingh Road, Jaipur 302005

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

भवदीय

(सुधार्षु अधिhanshu Arora) (Retail Sales) स्थार्ष अवन्दिन Manager (Retail Sales) (वि.म.) हाड्य Indian Oil Corporation Etds (M.D.) Indian Divisional Office First Floor, LIC Investment Building, Phase Indian of Indian of Indian Oil Corporation Etds (M.D.) ज्या प्राथमित के प्राथमित क

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में यह है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

भवदीय

(सुधांशु आरुष्ध Sudhanshu Arora) मुख्य प्रबच्च (दिव्याती) (Retail Sales) इडियन (पोर्टी) (Anager (Retail Sales) (वि.प्र.) Indiar Indian Oil Corporation Etd. (M.D.) जय Jaipur Divisional Office, First Figor केस—II First Floor, LIC Investment Building, Phase-Hase-II आर्ड कर महिल के पार्टी विषय पार्टी कर महिल के पार्टी कर महिल के पार्टी विषय (Parager)

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (16) की अनुपालना में यह है कि अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(Sudhanshu Arora) Chief Manager (Retail Sales) Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
(सुधांशु अरोड़ा ब्रिक्सिनाshu Arora)
मुख्य प्रबचक (रिटेन सेल्स)/Chef Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम लान एल आई सी एल कर्ने विल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Invest कार्यालय, जायपुर-302005
Near Ambedkar Gircle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

FORM-1

(For Linear Projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.02.2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for Non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where In MoEF Issued certain relaxation in respect linear projects, it is certified that 0.0712 Hectares of forest land of forest range Ratangarh, District Churu proposed to be diverted in favour of INDIAN OIL CORPORATION LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Retail Outlet on Jaipur- Bikaner NH-11 BETWEEN KM Stone No. 450-451 (CHAINAGE: 450.394-450.439) LHS IN Khasra No. 486 At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District Churu (Rajasthan) falls within jurisdiction of Churu.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.0712 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed with annexure A and B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As Above

Sidharth Sihag District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833 Copy Forwarded to :

Date 03.08,2023

- 1. DCF Churu as Member for N.A.
- 2. CEO, Z.P. Churu as Member Secretary for N.A.
- 3. Applicant Naveen Parakh S/o Navratan Parakh, M/S Parakh Automobiles, NH-11, Rajaldesar, Distt. Churu.

Paras Ram Meena Chief Executive Officer, Zila Parisad, Churu

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

क्रमांकः प012(02)(104)राजस्व/2022/82 4-830

दिनांक:-03.082023

-: एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण :--

आज दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान् सिद्धार्थ सिहाग जिला कलक्टर, चूरू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गयाः—

| क्र. | प्रकरण का नाम | क्षेत्रफल | संबंधित संस्था |
|------|--|-----------|---|
| 1 | IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में। | हैक्टेयर | आवेदक श्री नवीन पारख पुत्र नवरत्न पारख, मैसर्स पारख ऑटोमोबाइल्स, एन. एच.11,राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू। |

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें:-

1. श्रीमती सविता दहीया, उप वन संरक्षक चूरू।

2. श्री परस राम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू।

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपरिधत रहें:-

1. श्री मालीराम सारस्वत, ग्राम पायली तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

2. श्री लोकराम मेघवाल, ग्राम बास भरीण्ड पो. बेवड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

3. श्रीमती दुर्गा मेघवाल, ग्रा. राजासर चोड़िया, पो. भोजासर छोटा, तह. सरदारशहर जिला चूरू।

बैठक में क्र.सं. 1 पर अंकित IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण—पत्र के संबंध में प्रस्ताव संख्या FP/RI/ROAD/49638/2020 Date 11.09.2020 के लिए वन विभाग की भूमि के खसरा नं. 486 में से 0.0712 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, पर विचार विमर्श किया गया। उक्त वन भूमि का नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर की आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा सर्वसहमति से अभिशंषा की गयी है एवं उपखण्ड स्तरीय कमेटी रतनगढ़ की बैठक दिनांक 18.01.2023 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है, प्रकरण में ग्राम राजलदेसर के विशेष/समुदाय क उक्त आधानयन प्राप्त विशेष/समुदाय के उत्थवर्जन में आपित्त नहीं

उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 जक्त प्रस्ताव म उल्लाखत नाम न नामनार संशोधन नियम 2012 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवार्ष सशाधन नियम 2012 में वाणत पगई ना जिल्हा होने तथा ऐसे किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं

चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरू द्वारा मनोनीत तीनों जिला परिषद सदस्यों को सूचित करने के बावजूद वे मीटिंग में अनुपस्थित रहें। समिति के उपस्थित सदस्यों का मत है कि FRA प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। इस कारण से अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मनोनीत जिला परिषद सदस्यों द्वारा उक्त बैठक की कार्यवाही का (By Circulation) अनुमोदन करवा लिया जाये, यदि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है तो वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।

(सविलें दहीया) उप वन संरक्षक, चूरू

HI M ALH (मालीराम सारस्वत) जिला परिषद सदस्य, चूरू ग्रा. पायली तह. रतनगढ़

(परस राम मीणा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू

कामा (14 (लोकराम मेघवाल) जिला परिषद सदस्य, चूरू ग्रा.बास भरीण्ड, पो. बेवड तह. राजगढ़ (सिद्धार्थ सिहाग) जिला कलक्टर, चूरू

(दुर्गा मेघवाल) जिला परिषद सदस्य, चूरू ग्रा. राजासर चोड़िया पो. भोजासर छोटा तह. सरदारशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

कमांकः राजस्व / 2021 / 59

aria 181-23

निभित

श्रीमान जिला कलवटर महोदय, चूरू

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत। आवेदक नवीन पारख पुत्र नवरतन पारख मैसर्स पारख ओटोमोबाईलस एनएच 11 राजलदेसर

प्रसंग :- श्रीमानजी का पत्रांक प.12(02)()राजस्व / 2022 / 442-42 दिनांक 26.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 2012 के नियम 3 व 4 के अनुसार नगरपालिका की आम सभा का अनुमोदन व नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.01.2022 को आयोजित कर कमेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाकर पत्रावली मूल ही इस पत्र के संलग्न कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतुं श्रीमान को सादर प्रस्तुत है। संलग्न – उपरोक्तानुसार

> उपखण्ड अधिकारी रतनगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ (चूरू)

कमाक - राजस्व / 2021 / 58

दिनांक :- 18 1-23

आदेश

परिपत्र कमांक प 6 (14)प सु/अनु—3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 के अनुसार व अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 20212 के नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैटक अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में दिनांक 18.01.2023 को प्रातः 11.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुए।

- 1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजलदेसर
- 2. क्षेत्रीय वन अधिकारी रतनगढ़
- 3. अध्यक्ष नगरपालिका राजलदेसर

बैठक में अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नांकित विचारार्थ रखा गया।

1. ग्राभ राजलदेसर के खसरा नं 486 एनएच—11 सीकर बीकानेर आई ओ.सी.एल. के पेट्रोल पंप लगाये जाने हेतु हेतु अप्रोच रोड के संबंध में आवेदक नवील पारख पुत्र नवस्तन गरख मैसर्स पारख ओटोमोबाइल्स एन एच 11 राजदेसर के प्रकरण में रास्ता/आवागमन हेतु वन भूमि .0.0712 हेक्टर के डायवर्जन बाबत प्रकरण बैठक में रखा गया, इस संबंध में वन अधिकारों की मान्यता नियम 2006 एवं नियम 2008 एवं सशोधन नियम 2012 के तहत नगरपालिका राजलेदसर द्वारा आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में ग्राम राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू के खसरा नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टयेर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।

अतः कनेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाता है एवं सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंधा की जाती है।

बी गंअधिशोधीयमिशकरी नगस्त्रिक्तितिस्स्रेसर भेत्रीय वन आधेकारी रतनगढ उपखण्ड अधिकारी रतनगढ गिर्जा अध्यक्ष अध्यक्ष राजलदेसर कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर जिला-चुरू राजस्थान

Email - raj.churu.bika@gmai.com

Phone No - 01567-294504

And I-11-21 2022-23 6796

1326 12-1-202)

उपखंण्ड अधिकारी महोदया

रतनगढ

विषय— आईओसीएल के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड़ जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के लिए वनाधिकार प्रमाण प्रत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग- प्रत्राक क्रंमाक राजस्व/2022/981 दिनांक- 20/06/2022

महोदया निवेदन है कि आईओसीएल के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नम्बर 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने जाने के लिए प्रस्तावित रोड़ जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है। उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अविकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 3 एवं (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम के अर्वा प्रक्रियाधीन नहीं है। 4 के अनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लिम्बत अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम/ नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने से प्रयोक्ता अभिकरण को अनापति पत्र जारी करने की अभिषंशा की जाती है।

रोड़ का नाम- एन. एच. 11 ग्राम- राजलदेसर खसरा न.- 486 आवश्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0712 हैक्टेयर (712 वर्गमीटर) तहसील-रतनगढ़ जिला-चूरू राजस्थान

संतान: - यमान पत्र

अधिषाशी अधिकारी नगरपालिका राजलदेसर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर जिला चूरू राजस्थान Email-raj.churu.bika@gmail.com phone No - 01567-294504

आज दिनांक 201 23 को नगरपालिका मण्डल राजलदेसर कि आम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अधिशाषी अधिकारी ने अवगत कराया कि राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के खसरा 486 पर आईओसीएल द्वारा प्रस्ताविक पैट्रोल पम्प लगाये जाने हेतु राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से पम्प पर वाहनों कि आवगमन हेतु 0.0712 हैक्टेयर रिक्षत वन भूमि कि आवष्यकता है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्स करने के पष्चात यह निर्णय लिया गया कि वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कि अनुसंषा के अनुसार उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परमपरागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधाननुसार उक्त भूमे पर वनाधिकार का कोई भी दावा लिम्बत अथवा प्रकियाधीन नहीं है। न ही कोई व्यक्ति विषेश /समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं होने से प्रयोक्ता अभिकरण को अनपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि अभिषंशा सर्व सहमती से दी जाती है।

रोड का नाम- एन.एच.11

ग्राम- राजलदेसर

खसरा नं.- 486

आवष्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0712 हैक्टेयर (712 वर्गमीटर)

तहसील- रतनगढ़

जिला- चूरू राजस्थान

अधिसाधि। श्रेश्विकी री

नगरपालिका राजलदेसर

अद्यक्षी प्राप्यालिका राजलदेसर नगरपालिका मण्डल राजलदेसर



Rajasthan State Pollution Control Board

First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nago

Phone: 8003076666 Fax: 8003076666 Registered



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION THE CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND (PREVENTION CONTROL **OF** CATEGORY POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY **INDUSTRIES** UNDER GREEN **UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.**

File No : F(Tech)/Churu(Ratangarh)/1766(1)/2021-2022/631-632

Order No: 2021-2022/Nagour/8343

From: Date: 8/12/2021

ΕE

Rajasthan State Pollution Control Board,

First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagour

To,

M/s PARAKH AUTOMOBILES (UnitID:113982)
KHASRA NO. 486, KMS-448-452, SERVO OIL DEPOT, NH-11, RAJALDESAR Tehsil:Ratangarh District:Churu

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 23/08/2021 of your application dated 23/08/2021 for Consent to Establish for (project / process / activity name) PARAKH AUTOMOBILES under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 having capital cost of the project Rs. 42.45 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 3,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as Consent to Establish, of the State Board, under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 ,to Consent to Establish your industry at KHASRA NO 486, KMS-448-452, SERVO OIL DEPOT, NH-11 RAJALDESAR Tehsil:Ratangarh District:Churu and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986
- 2. This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3. The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4. The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing** as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/PIg./153-189 dated 02/06/2020.

Page 1 of 3

Signature Not Verified

Digitally signed by Ary nd Kumar Agarwal Date: 2021.12.0848:26:52 IST

Reason: SelfAttested

Location:



Specific Condition:

- 1 That this acknowledgement is being issued for the Automobile fuel outlet (only dispensing) of PETROL (MS) 1500 Ltr./Day, Diesel (HSD) 3000 Ltr./Day & Lubricant Oil 150 Ltr./DAY Sought by SHRI NAVEEN PARAKH at Khasra no. 486, NH-11, Village - RAJALDESAR, Tehsil - RATANGARH, District - CHURU, which is dully converted for petrol pump use by Nagar Palika Mandal, Rajaldesar, Churu vide dated 06.01.2015.
- 2 The total capital investment in the project without depreciation shall not exceed 42.45 lacs.
- 3 That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority. Besides no trade effluent shall be generated from the facility.
- 4 That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/industry/process/project. The liability of veracity and correctness of the uploaded document/information shall solely be of the applicant only.
- 5 In case, any direction for closure has been issued by the State Board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgment shall not be considered as consent, in any case and shall be treated null & void.
- 6 That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted /uploaded at the time of seeking consent.
- 7 That submission of any incorrect or partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code'1860, Information Technology Act'2000, & Air (Prevention & Control of Pollution) Act'1981, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of the statutes.
- 8 That unit shall comply with all the provisions and conditions as mentioned by guidelines issued by Central Pollution Control Board O.M. dated 07.01.2020 and addendum dated 16.08.2021. (Copy enclosed).
- 9 That the total sludge and other hazardous waste shall be disposed as per Rule no. 08 of Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and amendments.
- 10 That the unit/ petrol pump shall obtain the authorization for hazardous waste under Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and further amendments.
- 11 The unit shall comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 and any further amendments, if applicable.
- 12 The unit shall comply with the provisions of "Manufacture, Storage, and Import of. Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989" under the Environment. (Protection) Act, 1986 and any further amendments, if applicable.
- 13 The filling station shall get permission for establishment of fuel station from competent authorities such as District Administration, LSG, PESO etc.
- 14 This acknowledgment is not evidence for ascertaining entitlement of land.
- 15 This acknowledgement shall be subjected to compliance of any direction or order passed by court of law in matter.
- 16 That the grant of this acknowledgement is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

Page 2 of 3

Signature Not Verified

Digitally signed by A nd Kumar Agarwal Date: 2021.12.08-48:26:52 IST

Location:

Reason: SelfAttested



This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Сору То :

1 Master File.

EE

Page 3 of 3





Online payment history made by User Agency under CAMPA

∇ Help



| Sno | . Proposal Detail | Application_No | 1 | Date of IN- PRINCIPLE | Amount (in Rs.) | to be Pai | d/Amount P | | Payment Status | Payment Detai | i | Demand Letter |
|-----|---|----------------|-----|--------------------------|--|------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|--------------|--|
| 1 | (/viewreport.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/49638/2020) Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH- 11) between KM Stone No. | | 1 1 | | CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1: Other | 0/- , 0/- , 47714/- , 0/- | , Addl CA : 0, CAT : 0, Addl PA : 0, Other Charges : 0, | /- /- /- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan | :23 Feb 2022 | Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/210220221403086642_FPRJROAD496382020_User_Fund_Demanded_30490.pc Generated Challan (/UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD496382020134) |
| | 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj | | | | Charges2 : Other Charges3 : Total : | · | | | | Generated On Transaction Date | :04 Mar 2022 | |















(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

प्लांट

स्थान

ही संपन्न गेम्स में हासिल हुए रजत और तियोगिता सदस्यीय था। पिछले नी पेशंट्स के बैनर वलाडी इस तेहै।

घोषित

गाम जूसरी, ला डीडवाना 0वीं सीनियर गिता में भाग : पुरुष अभय सिंह व्य कौशिक रति, यशस्वी, गुप्ता, भूमिका भत ओडवाल, दव, खुशवन्त वर्धन सिंह । दिव्या शर्मा,





कार्यक्रम के को विजेता द प्रस्कार प्रदान किया इमिंटन संघ ने राजस्थान नयपुर जिला कोषाध्यक्ष पंघ के हेड सभी का

राजस्थान सरकार वन विमाग

क्रमांकः प. 1 (103) वन/2021 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक- 07 Jan 22

fevu- Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486. At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu Rajasthan (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एक 1 4 (435/38) 2020/ एकसीए/ प्रमुवस/3237 दिनांछ-18.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉपोरेझन लिमिटेड हारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत घारा-2 में स्टोन नम्बर 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS के खसरा नम्बर 486 ग्राम राजलदेसर, तहसील रतनगढ जिला चुरू में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0712 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संख्या अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति यावत जारी दिल्ला-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion. of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District - Churu, Rajasthan को सेद्धान्तिक स्वीकृति विना किसी वृक्ष के पातन सहित निघ्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है. -

चन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखं रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्नुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेन् समस्त उपाय किये जावेगें।

4 प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग को बिना पूर्वान्मित के नहीं काटा जावे । उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।

5 प्रयोक्ता ऑफकरणद्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों ६ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस /केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्तआस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों और रिक्तम है स्थानों पर द्वी गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के सीान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊबी दीवार ब नाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण इतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।

प्रयोक्ता अभिकाण, सद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत

करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10 प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साध प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तृत करावेगा ।तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा । प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों

12 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय परवन विभाग द्वारा जून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का

वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्तर अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों हो समाहित करते हुये राज्ञि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा मुख्तित ई- चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए, संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/20 10-CAMP । दिनांक 09.06.2016 में दिवे गए आदेशानुसार मुख

वर्तपान मूल्य (एन.पी.बी.)की निर्धारित राशि जमा की जावेगी । उपरोक्तअनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मृत्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति यौधारोपण निधि प्रबंधन तथा यो जना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपार्टल OSMFWP हारा सुजित ई-चालान हारा जमा करायी जायेगी।जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सेद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशिका मदबार बिखरणहो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वकृति पर विचार किया

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रयाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी. वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्त अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

15 राज्य सरकारद्वारा दी गई इस अनुपति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, चनएवं पर्यावरण

16 भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एक्सी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07. 11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित हुने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरणः प्रकाशित करायें एवं जारी स्वीकृति की प्रतिबाह्यातीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

घवदीय, (बी. प्रवीच) शासन सचिव



हिप्टी च लिए औ ओपन ई-टंडर

कार्य व सीओए। ट्रंडला क अनुमानि निविदा 15:00 H 90 विन

15:00 a जाएगी। एकट 20 फाइनेंसि जायेंगे रे वह इगन वे ठेकेदा

> लिए भार F North



निविदा

भारत व निम्नलि समय 1 क

₹ कार्य व के अत ओडर 1392 (1340 बिज बोली करने

02.01 नोटः www. तक उ स्यीका IT Act वेबसाउ जमा व FA &C उल्लेख अनुसान दरें के वित्तीय जायेग अधिक 5. सल हेत् नि प्रपन्न । निरस्त के दावे

क्रिया चाहिय निर्धारि ही उन किसी परफार एजेंसी सरका सम्बनि प्रकार सम्पक् तक स

टेण्डर

f No

onicers of them fassault ed and seizure zesheet

ccused charges ne three.

resident Banswara name Is ord of my LD Vinod is wrong. d Choubey ed correct.

3/2024 all of our No. 1 aji Tower, oor, Opp. nu Dt., Pin 694815 / shifted to . 1 New 01, H-12, Roadways Nagar, 33 001. Ph 91675) for nvenience. note the uested to ne above only for all ons and said date.

38343549

ANCE LTD. 006623. anappuram House 7, Kerala, India

Complex.

00059 11001

under the 2002 and in nforcement) tioned in the

general that conferred on ed dates. The any dealings

| int | of Branch |
|-----|----------------|
| | Bhilwara- B |
| 3 | Bhilwara- B |

amount, else Notice, as per

rized Officer pany Limited

Date of advertisement-08-12-2023

भीम राजस्थान सरकार वन विभाग

reasons Whatsoever

क्रमांक: प. 1 (103) वन/2021 प्रधानमुख्य वन संरक्षक (HoFF)

gning an

GIRCLE HEAD

जयपुर, विनांक-07 Jan 22

1500

राजस्थान, जयपुर। विषय- Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486. At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu Rajasthan (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ :-आपका पत्रांक एफ 1 4 (435/38) 2020/ एफसीए/प्रमुक्स/3237 दिनांक-18.11.2021

न्जपप उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन लिपिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS के ख्रसरा नम्बर 486 ग्राम राजलदेसर, तहसील रतनगढ जिला चूरू में प्रस्तावित पेट्रोल पाप के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0712 हेक्टयर वन भृषि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बावत जारी दिल्ला-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion. of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District - Churu, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति विना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है.

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाय के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की थिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों धस्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्तआस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा ।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्तमड़े स्थानों परदी गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के सीान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साध एफ, आर. ए, सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तृत करावेगा ।तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।
- 11 प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- 12 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तकरखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्तर अधिकरण द्वारा वर्तमान दरी को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- 13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय केरिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMP ।दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन.पी.वी.)की निर्धास्ति राशि जमा की जावेगी। उपरोक्तअनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मृल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवंधन तथा योजना प्राधिकरण के तद्र्यं निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई अनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या। एनईएफरी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार बिवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वकृति पर विचार किया
- 14 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी. बी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्त अधिकरण हारा नियमानुसार जमा की
- 15 राज्य सरकार द्वारा दी गृहं इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- 16 भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07. 11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरणः प्रकाशित करायें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय,

(बी. प्रवीण) शासन सचिव

SCBL0036001, e) Bani

- 1. For participating in advance and has to ment details towards
- The bidders shall im utes of the closing to
- The successful bidde of the bid amount with
- The purchaser has to and all other incider
- Bidders are advised terms and conditions
- 6. For details, help auction.hl@liff.com
- 7. For any query relat to 18:00 hrs between
- Notice is hereby give sessionwithin 7 days
- Further the notice is 10. In case of default in
- the amount already pute in tender/Auctio

The Borrower are here! ler/Auction, failing Place:-Alwar, Date: 08-

> Advertisem section 374 Register) R

1 Notice is Companies Bhawan, 21 Falcon Hole Companies

2.The princ

- ✓ To act a co-ordinat wherever the Compa controlled
- ✓ To inve subsidian registered which the
- ~ To prov oriented o its funds.
- 3. А сору may be in Khurda, C
- 4. Notice their obje No. 9 (P) publicati

Dated th